प्रेस विज्ञप्ति

22.05.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती नौहेरा शेख को 21/05/2026 को गुरुग्राम, हरियाणा से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हीरा ग्रुप और अन्य के खिलाफ निवेशकों की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें तत्काल हैदराबाद लाया गया और 21/05/2026 की देर रात माननीय पीएमएलए न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

तेलंगाना पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा श्रीमती नौहेरा शेख, श्रीमती मौली थॉमस, बिजू थॉमस और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ देश भर के पीड़ित जमाकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। श्रीमती नौहेरा शेख के खिलाफ 1,72,114 निवेशकों से 3000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान यह पता चला कि नौहेरा शेख ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में निवेश के बहाने पूरे भारत के निवेशकों से लगभग 36% प्रति वर्ष के भारी रिटर्न का वादा करके जमा राशि एकत्र की और बाद में उनके लाभ/मूलधन राशि वापस करने में विफल रही।

श्रीमती नौहेरा शेख और उनसे संबंधित व्यक्तियों ने जमाकर्ताओं के धन को कंपनी के बैंक खातों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत खातों में गलत तरीके से स्थानांतरित कर दिया और अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग करके भारी मात्रा में चल और अचल संपत्तियां जमा कर लीं।

जांच के दौरान, ईडी ने अपराध की आय से खरीदी गई विभिन्न संपत्तियों की पहचान की और उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया। श्रीमती नौहेरा शेख ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डब्लूपीपी संख्या 31/2020 और एमए संख्या 2227/2024 दायर की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके चल रही जांच को पटरी से उतारने का प्रयास किया। उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके चल रही जांच में देरी करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा, माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान उन्होंने गलत हलफनामा देकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने का साहस किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि श्री सी.के. मौला शरीफ 580 करोड़ रुपये की संपत्तियां खरीदने के लिए तैयार हैं और अपने दावे के समर्थन में कुछ बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालांकि, माननीय न्यायालय ने पाया कि उक्त व्यक्ति के हलफनामे में उल्लिखित बैंक खाते में कोई धनराशि नहीं थी और तदनुसार श्री सी.के. मौला शरीफ के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का आदेश दिया। जांच के दौरान, श्रीमती नौहेरा शेख ने तहसीलदार/राजस्व अधिकारियों के समक्ष गलत हलफनामा देकर ईडी की कुछ सत्यापित कुर्क संपत्तियों को बेच दिया और अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि अर्जित की। तदनुसार, इस अपराध के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ईडी ने समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके इन सभी तथ्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया और माननीय न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को गंभीरता से लिया है। पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्लूपी (सीआरएल) संख्या 31/2020 और एमए संख्या 2227/2024 में ईडी के पक्ष में आदेश देते हुए पीएमएलए न्यायालय के मुकदमे और ज़ब्ती आदेशों से पहले सभी कुर्क संपत्तियों की नीलामी शुरू करने और एसएफआईओ के माध्यम से निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती नौहेरा शेख को भी निर्देश दिया कि वे चल रही नीलामी कार्यवाही में ईडी के साथ सहयोग करें और अपराध की आय या अपराध के धन का उपयोग करके अपने नाम या अपने सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों के लिए विक्रय विलेख निष्पादित करें।

ईडी ने नीलामी की कार्यवाही शुरू की थी और कुछ संपत्तियों की सफल नीलामी में लगभग 122 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। श्रीमती नौहेरा शेख से नीलाम की गई संपत्तियों के विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, श्रीमती नौहेरा शेख ने सफल बोलीदाताओं के पक्ष में विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करने में सहयोग नहीं किया और नीलामी की कार्यवाही में बाधा डालने के बार-बार प्रयास किए।

ईडी ने एक बार फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया और माननीय न्यायालय ने उनके आचरण का गंभीर संज्ञान लेते हुए, दिनांक 08.04.2026 के आदेश के अनुसार, उन्हें एक सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने और दो महीने के भीतर नीलाम की गई 16 संपत्तियों के विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया। आदेश का पालन न करने पर, उनके खिलाफ गैर-मान्यता वारंट जारी करने और कानून के अनुसार उनकी जमानत रद्द करने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि, उन्होंने जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया।

चूंकि उन्होंने सहयोग नहीं किया, इसलिए ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2026 के आदेश के अनुपालन में उनकी जमानत रद्द करने और गैर-कानूनी वारंट जारी करने के लिए विशेष पीएमएलए न्यायालय से संपर्क किया था। उक्त जमानत रद्द करने और गैर-कानूनी वारंट जारी करने की कार्यवाही के दौरान उन्होंने माननीय विशेष न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया। उन्होंने एक हलफनामा दायर किया जिसमें उन्होंने माननीय न्यायालय को बताया कि उन्होंने हैदराबाद में जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, हालांकि, उन्होंने उन्हें हिरासत में लेने से इनकार कर दिया

था। माननीय न्यायालय ने जेल अधिकारियों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए कभी उनसे संपर्क नहीं किया था। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2026 के आदेश के आलोक में पूरे मामले की जांच की और उनके भ्रामक आचरण को भी ध्यान में रखते हुए 07.05.2026 को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और ईडी को वारंट निष्पादित करने और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। माननीय विशेष न्यायालय ने इस मामले में उनकी जमानत भी रद्द कर दी।

ईडी के अधिकारियों ने हैदराबाद और बेंगलुरु के ज्ञात पतों पर उसका पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए, लेकिन वह वहां नहीं मिली। पता चला कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गई थी। मिली सूचनाओं के आधार पर, ईडी ने बेंगलुरु से उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन वह वहां भी नहीं मिली।

इसके बाद, ईडी ने स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पता लगाया कि श्रीमती नौहेरा शेख हरियाणा के गुरुग्राम में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए फर्जी पहचान के साथ छिपी हुई हैं और उनके साथ उनका साथी श्री समीर खान भी है। इस खुफिया जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, ईडी के अधिकारियों ने हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर उनका और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन का पता लगाया। घटनास्थल पर संयुक्त अभियान चलाया गया और श्रीमती नौहेरा शेख को 21 मई 2026 को सॉल्ट स्टेज़, सेक्टर-45, गुरुग्राम, हरियाणा (एआईआर बीएनबी प्रॉपर्टी) से सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया। वह अपने साथी श्री समीर खान के साथ शेख खमर जहां के नाम से जारी आधार कार्ड पर वहां रह रही थीं। पीएमएलए के तहत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर हैदराबाद लाया गया और 21 मई 2026 की देर रात हैदराबाद स्थित माननीय पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इससे पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में ईडी द्वारा अचल संपत्तियों की नीलामी में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे कल्याण बनर्जी नामक एक धोखेबाज को ईडी ने 10.01.2026 को सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया था। श्रीमती नौहेरा शेख की सूचना पर वह स्वयं को एक वकील और वरिष्ठ नौकरशाहों/राजनेताओं का करीबी बताकर ईडी अधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था।

ईडी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कानूनी कार्यवाही से बचने, जांच में हस्तक्षेप करने या पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आयोजित नीलामी की कार्यवाही में बाधा डालने के किसी भी प्रयास से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

मामले की आगे की जांच जारी है।